(1)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दूदू

पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाल परिहार (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र 14 (4) संख्या 23 / 2012 पुनः दर्ज 23 / 2021

रामधन पुत्र श्योजीराम जाति जाट आयु 72 वर्ष, निवासी ग्राम केरिया खुर्द, हरसौली, तहसील मौजमाबाद, हाल तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. बी.एन.गौड पुत्र हनुमान प्रसाद जाति नामालूम निवासी केरिया खुर्द, तहसील मौजमावाद, हाल तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
2. एस.डी.ओ. (उपखण्ड अधिकारी) सांभर, जिला जयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
4. भैरू सिंह पुत्र देवीदान जाति चारण, निवासी केरियाखुर्द, तहसील मौजमावाद (हाल दूदू) जिला जयपुर ।
5. बाबूलाल पुत्र छोगा बलाई निवासी केरियाखुर्द, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

अभिभाषक गण –

वास्ते प्रार्थी –
एडवोकेट श्री मुकेश चौधरी
अप्रार्थी संख्या 1
एडवोकेट श्री भैरूलाल शर्मा
अप्रार्थी संख्या 2,3 पैरोकार सरकार
अप्रार्थी संख्या 5
एडवोकेट श्री हनुमान प्रसाद चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन नियम 1970 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत निरस्त कराये जाने फर्जी दिखावटी व नुमाईशी आवंटन आदेश दिनांक 28.06.1976 आवंटन समिति आवंटन कमेटी, उपखण्ड अधिकारी तथा उक्त आवंटनों के अस्तित्व में नहीं होते हुये भी तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 52 को निरस्त करने बाबत्

निर्णय

दिनांक : 30.06.2025

प्रस्तुत प्रकरण ग्राम केरिया खुर्द पटवार मण्डल उरसेवा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर से संबंधित है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि–

1. कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 450, 451, 452 गत नम्बर 282 है जिनका कि किसी भी प्रकार से आवंटन प्रार्थीयान के पक्ष में तत्समय आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नहीं किया गया है। अप्रार्थी श्री बी.एन.गौड के पक्ष में नामान्तरण संख्या 52 दिनांक 28.06.1976 किसी आधार पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

एवं किस आवंटन आदेश के द्वारा दर्ज किया गया है, कतई साबित एवं स्पष्ट नहीं है। उपखण्ड अधिकारी सांभर कार्यालय से आवंटन आदेश दिनांक 28.06.1976 की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से ऐसी कोई आवंटन प्रोसिडिंग नहीं होना अवगत कराते हुए आवेदन पत्र लौटा दिया। ऐसी स्थिति में नुमाईशी दिखावटी एवं फर्जी आवंटन आदेश की पालना में खातेदारी नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता है। प्रार्थी शिकायतकर्तागण का विगत 60 वर्षों से इस भूमि पर कब्जा काश्त है जिन्हें कभी भी बेदखल नहीं किया गया है। पक्के मकानात सहित निवास हैं। उपखण्ड अधिकारी सांभर द्वारा पारित निर्णय बिना आवंटन आदेश किया गया है जो अवैध हैं। कृषि भूमि आवंटन नियमों की कोई पालना नहीं की गई है। उपखण्ड अधिकारी की उक्त कार्यवाही एब इनिशियों वॉइड है। जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद है। प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि आवंटन नियमों की कोई पालना नहीं की गई है। अतः यह कपटपूर्ण होने के कारण खारिज योग्य है। अन्त में आवंटन नियम 1970 की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य एवं इस संबंध में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 52 व 56 को निरस्त की प्रार्थना की है।

2. उक्त प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये –
   1. नकल नामान्तरकरण संख्या 52, 56
   2. नकल प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी
   3. जमाबन्दी बीएन गौड सम्वत् 2065–68
   4. मिलान क्षेत्रफल
3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई एवं अधीनस्थ कार्यालय से रिकार्ड तलब किया गया।
4. प्रकरण में प्राप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस को ध्यान से सुना तथा मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण अलग अलग विधि इतिहास के साथ है जिनका पृथक पृथक विवेचन किया जाकर निर्णय किया जाना उचित होगा।
5. **अप्रार्थी बद्री नारायण गौड पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी केरिया खुर्द हाल निवासी मकान नं0 155 सन्तोष सागर कॉलोनी, ब्रह्मपुरी रोड जयपुर** – अपने प्रत्युत्तर में अप्रार्थी श्री बी.एन.गौड (बद्रीनारायण गौड पुत्र श्री हनुमान प्रसाद) के द्वारा एक फोटो प्रति आवंटन आदेश की संलग्न की गई है जिसके अनुसार ग्राम केरियाखुर्द में खसरा नम्बर 282 में से रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा भूमि अप्रार्थी को भूमि आवंटन किया जाना वर्णित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रेषित दस्तावेजों में श्री बी.एन.गौड से संबंधित पत्रावली प्रेषित नहीं की है। उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा अपने पत्र क्रमांक विविध/12/743 दिनांक 21.08.2012 को प्रेषित पत्रावली में कानसिंह के पत्राचार पत्रावली के साथ "आवंटन आदेश की पटवारी को सूचना" आदेश पत्र में श्री बी.एन.गौड को दिनांक 28.06.1976 को ग्राम केरियाखुर्द तहसील दूदू के खसरा नम्बर 282 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा आवंटन का आदेश क्रमांक 2326 दिनांक 02.07.1976 को आवंटन किये जाने बाबत आदेश दिये हैं। संबंधित पत्रादि में इस पत्रावली के साथ कानसिंह के नाम के कागजात शामिल है। इसी आदेश के आधार पर नामान्तरण संख्या 52 सिवायचक खसरा नम्बर 282 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा में से श्री बी.एन.गौड के नाम से खसरा नम्बर 282 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा का नामान्तरण स्वीकार किया गया है। श्री बी.एन.गौड के नाम से वर्तमान में खसरा नम्बर 264 रकबा 0.25 हैक्टर गैमु. सडक, खसरा नम्बर 451 3.3800 हैक्टर किता 2 रकबा 3.63 हैक्टर गैर खातेदारी में दर्ज है।

अप्रार्थी बी.एन.गौड के द्वारा अपना जवाब व लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि शिकायत कर्ता को यह आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी को भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है। आवंटन के उपरान्त ही नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। कथन किया है कि यदि सहवन से प्रार्थी के आवंटन प्रार्थना पत्र की एवज में दूसरे के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

प्रार्थना पत्र आवंटन हेतु दर्ज कर दिया है तो वह राजकीय कर्मचारियों की भूल है। जबकि बी.एन. गौड एल.एस. 83264 को आवंटन ग्राम पाल व गिदानी में हुआ है और प्रार्थी का आवंटन केरियाखुर्द में है। इसलिए प्रार्थी को जो आवंटन प्रार्थना पत्र था उसको जानबूझकर उलट पुलट किया गया है। प्रार्थी को आवंटन लगभग 39–40 वर्ष पहले हुआ था जो निरस्त नहीं किया जा सकता। शिकायतकर्ता का कोई कब्जा नहीं है तथा रंजिशवश शिकायत की गई है। राजस्व कर्मचारियों ने उस समय हुये कई आवंटन की पत्रावलियों को उलट पुलट कर दिया जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी ने गलत रूप से यह आवेदन पेश किया है। कानसिंह को जो भूमि आवंटन किया गया था उस भूमि पर वह कब्जा लेने नहीं आया। अप्रार्थी ने कोई फर्जी कार्यवाही नहीं की है, सही बात यह है कि अप्रार्थी के आवंटन को तत्कालीन पटवारी ने जानबूझकर इधर उधर किया है जबकि आवंटन आदेश में खसरा नम्बर 282 दर्ज है और उसी दिन जो कानसिंह को आवंटन किया गया है उसके खसरा नम्बर 125 है, इशारो स्पष्ट है कि दिनांक 28.06.1976 को आवंटन की कार्यवाही आवंटन सलाहकार समिति ने नियमानुसार की थी।

अप्रार्थी श्री बी.एन.गौड के शपथ पत्र के अनुसार श्री गौड का पता निवासी केरिया खुर्द हाल निवासी प्लॉट नम्बर 155, संतोष सागर कॉलोनी, ब्रह्मपुरी रोड, जयुपर वर्णित किया है। श्री अप्रार्थी के द्वारा अपने आपको इस ग्राम केरिया खुर्द का निवासी होने के लिए कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। तहसीलदार मौजमाबाद के द्वारा उपखण्ड अधिकारी दूदू को प्रेषित की गई रिपोर्ट दिनांक 24.03.2011 के अनुसार अप्रार्थी श्री बी.एन.गौड का मौके पर कब्जा नहीं है। इस प्रकार मौके पर काबिज नहीं होने तथा भूमि आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण अप्रार्थी श्री बी.एन.गौड के विरूद्ध प्रार्थना पत्र नियम 14(4) स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6 अप्रार्थी **बाबूलाल पुत्र छोगा बलाई निवासी केरियाखुर्द तहसील दूदू, जिला जयपुर** – प्रार्थी के लिए उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि आवंटन मिसल संख्या 232 दिनांक 29.06.1976 को उपजिलाधीश सांभर द्वारा अलॉटमेन्ट दिनांक 28.06.1976 के अन्तर्गत इसके पिता श्री छोगाराम बलाई पुत्र देवा को खसरा नम्बर 282 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा तथा खसरा 251 रकबा 4 बीघा भूमि का आवंटन करना बताया गया है ।

अप्रार्थी श्री बाबूलाल द्वारा उसके पिता अपने पिता स्व. श्री छोगा पुत्र देवा को ग्राम केरिया खुर्द के खसरा नम्बर 251 में से रकबा 4 बीघा एवं खसरा नम्बर 282 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि "आवंटन आदेश की पटवारी की सूचना" के आदेश कमांक 2329 दिनांक 21.07.1976 को आवंटन किये जाने के आदेशों की सत्यप्रति उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक कार्यालय से प्राप्त कर संलग्न पत्रावली शामिल किया गया है। इस आदेश के आधार पर नामान्तरण सांख्या 55 पटवारी स्तर पर दर्ज किया गया।

श्री बाबूलाल के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी के लिए एक मुकदमा सनवानी छोगा बनाम तहसीलदार संख्या 21/94 दायर किया था जिसमें सहायक कलक्टर दूदू द्वारा यह आदेश दिनांक 09.12.1994 यह डिकी आदेश पारित किया गया कि "अतः आदेश दिये जाते है कि यदि मौके पर वादी आवंटन तिथि से लगातार काविज है और वादी का आवंटन, आवंटन के बाद निरस्त नहीं किया गया है तो नियमानुसार ना.सं. 55 दिनांक 09.09.1977 का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अतः वादी का दावा बावत आराजी खसरा नम्बर 282/2 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 251/3 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम केरिया खुर्द तहसील दूदू, डिकी किया जाता है। डिग्री परचा जारी हो।"

प्रस्तुत प्रकरण में मूल तथ्य यह है कि क्या बाबूलाल को भूमि का आवंटन किया गया अथवा नहीं। आवंटन संबंधी पत्रावली के अनुसार केवल भूमि का आवंटन श्री शंकरलाल के पक्ष में होना पाया गया है। आवंटन संबंधी कोई दस्तावेज प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। सहायक कलक्टर द्वारा भी – "प्रकरण में आवंटन तिथि से लगातार काबिज है और अप्रार्थी संख्या 5 का आवंटन, आवंटन के बाद निरस्त नहीं किया गया है तो है तो नियमानुसार ना.सं. 55 दिनांक 09.09.1977 का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे" निर्णय दिया गया और निर्णय के साथ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

की भी पारित की गई। इस प्रकार सहायक कलक्टर के द्वारा पूर्व में भूमि अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष दर्ज करने के आदेश दिये जा चुके है। सहायक कलक्टर के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई है।

इसी प्रकरण में तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 24.03.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि नामान्तरण संख्या 45 दिनांक 27.03.1976 से आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 125 रकबा 30 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 123 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा किता 3 रकबा 67 बीघा 04 बिस्वा भूमि भूरदान वगैरह के खाते से तथा नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 18.05.1977 से रामप्रताप दान पुत्र रामकरण दान कौम चारण के खाते से खसरा नम्बर 251 रकबा 9 बीघा भूमि सीलिंग में आने के कारण सवाईचक अंकित की गई थी।

तहसीलदार द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त नामान्तरणों की स्थिति स्पष्ट करते हुए नामान्तरणवार स्पष्ट किया गया है कि –

- उपखण्ड अधिकारी सांभर के आदेश संख्या 1225 दिनांक 15.05.1976 के क्रम में नामा.सं. 48 दिनांक 18.05.1977 से खसरा नम्बर 282 मिन रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा रामप्रताप दान पुत्र रामकरण दान कौम चारण सा.देह के नाम खातेदारी के हक स्वीकार हुआ।
- नामा. संख्या 52 दिनांक 16.09.1977 से खसरा नम्बर 282/1 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा बी. एन.गौड के नाम गैर खातेदारी हक स्वीकार हुआ।
- नामा. संख्या 53 दिनांक 16.09.1977 से खसरा नम्बर 251/1 रकबा 9 बीघा मनभरी बेवा गुरगा कौम बागरिया सादेह के नाम गैर खातेदारी हक स्वीकार हुई।
- नामा. संख्या 55 दिनांक 16.09.1977 से खसरा नम्बर 251/3 रकबा 4 बीघा, 282 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा छोगा पुत्र देवा जाति बलाई के नाम स्वीकृत हुई लेकिन इसका नामान्तरण में अमल नहीं हुआ।
- नामा. संख्या 56 दिनांक 16.09.1977 से खसरा नम्बर 282/3 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा शंकरलाल पुत्र लालूराम कौम..... सां केरिया बुजुर्ग के नाम गैर खातेदारी स्वीकार की गई।
- नामा. संख्या 57 दिनांक 16.09.1977 से खसरा नम्बर 282 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा सूरजकरण पुत्र कालू कौम रैगर सा. केरिया बुजुर्ग के नाम गैर खातेदारी स्वीकार की गई। लेकिन पटवारी द्वारा इस पर डबल अलॉट होने के कारण काबिल खारिज है, नोट अंकित किया गया है।

इस प्रकार तहसीलदार द्वारा अवगत कराया गया कि खसरा नम्बर 282 एवं 251 में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण छोगा पुत्र देवा बलाई के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना सम्भव नहीं है।

तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार श्री शंकरलाल पुत्र लालू रैगर गैर खातेदार का मौके पर कब्जा नहीं है।

तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि छोगा पुत्र देवा बलाई का भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, कोई काश्त नहीं की गई है, तत्कालीन नियमानुसार प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि, अगले वर्ष में 75 प्रतिशत भूमि तथा तीसरे वर्ष में पूर्ण भूमि को काश्त अधीन लाया जाना था, जो कि आवंटी द्वारा नहीं लाया गया है, तथा आवंटन की कोई शर्त का कोई पालन नहीं किया गया है। सहायक कलक्टर दूदू द्वारा दिये गये निर्णय में भी प्रार्थी का आवंटन तिथि से लगातार काबिज होने तथा वादी का आवंटन, आवंटन के पश्चात निरस्त नहीं किया गया हो तो नियमानुसार ही नामा.संख्या 55 के अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में छोगा आवंटन तिथि से लगातार आवंटित की गई भूमि पर काबिज नहीं है तथा इस प्रकार आवंटन की शर्तों की भी कोई पालना नहीं की गई है। छोगा पुत्र देवा को भूमि का आवंटन संबंधित खसरे में भूमि उपलब्ध नहीं होने के बावजूद आवंटन किया गया है। इस कारण छोगा पुत्र देवा बलाई का आवंटन एतद् नियम 14(4) के तहत खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

र्थी भैंरूसिंह पुत्र देवीदान जाति चारण निवासी केरियाखुर्द तहसील दूदू, जिला जयपुर के रा अपने प्रार्थना पत्र द्वारा काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व एवं प्रभाव ने आने के द से पिता के नाम खातदेारी रही थी एवं सीलिंग के बाद यह भूमि सिवायचक घोषित कर दी ई। तब से अप्रार्थी का भूमि पर कब्जा है। उन्हें भूमि आवंटन किया जाना था। वस्तुतः अप्रार्थी भैंरूसिंह के द्वारा सीलिंग से आपत्ति रखते हैं तो उन्हें सक्षम न्यायालय के समक्ष चाराजोही करनी चाहिए। जहां तक सीलिंग बाद सिवायचक भूमि पर कब्जे के आधार पर उन्हें आवंटन किये जाने के हक के लिए प्रार्थना के संबंध में उन्हें जब कभी आवंटन समिति बैठक में हो तो उन्हें अपनी मेरिट के आधार पर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। वर्तमान यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत है जिसके तहत आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो अथवा आवंटी ने आवंटन की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो उसक प्रकरण में आवंटन निरस्त किये जाने के बाबत विधिक क्षेत्राधिकार के तहत कार्यवाही अपेक्षित की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र के असम्बन्ध होने के कारण अप्रार्थी भैंरूसिंह पुत्र देवीदान जाति चारण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री बी.एन.गौड पुत्र हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी केरियाखुर्द तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर हाल निवासी कमान नं. 155 संतोष सागर कॉलोनी ब्रह्मपुरीरोड, जयपुर के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

(गोपाल परिहार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू राज0

Scanned with OKEN Scanner